No.A.48013/1/2018-E.II-ES
Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)
Directorate of Economics and Statistics
.....

119-F, Shastri Bhavan, New Delhi
Dated the 17 January,2019

To,

Shri V. Syam Prasad,
O/o Regional Director,
Staff Selection Commission (KKR),
1st Floor, E-Wing,
Kendriya Sadan, Koramangala,
Bangalore-560034.

Subject: Seeking information under RTI Act,2005-reg.

Sir,

I am to refer your online RTI application bearing Registration No. DOEAS/R/2018/80184 dated 21/12/2018. In so far as this Directorate is concerned, the requisite information as on date is as follows:-

Q.(1&2)

Name of Post	Sanctioned Strength	Filled	Vacant
PS (CSSS)	08	07	01

Q.(3) NIL.

2. In case you are not satisfied with the reply, appeal can be filed within 30 days of receipt of reply with the first Appellate Authority Dr. R.Sathish, Adviser, Room No.443-A, Krishi Bhawan, New Delhi (Ph.0111-23382244 e-mail: sathish@nic.in).

Yours faithfully,

(Ram Kumar)
Chief Administrative Officer
Ph.No.011-23385495
e-mail: ram.kumar66@nic.in

Copy to:

(1) Shri J.K.Rathee, CPIO & Dy. Economic Adviser, Directorate of Eco. & Statistics, 119-F, Shastri Bhavan, New Delhi.

(2) RTI Cell, DAC&FW, Krishi Bhavan, New Delhi.

(3) The Technical Director, NIC, Room No.341, Krishi Bhavan, New Delhi for uploading the DES Website under RTI segment.

फा.सं.9-1/2018-एफईएस-ई.एस.

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

कमरा सं. 416, कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 14 जनवरी, 2019

डॉ जगत ठाकुर ,
एन.एम.डी.सी अपोलो होस्पिटल बचेली,
जिला:- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा,
छत्तीसग्ढ- 494553,
मोबाइल संख्या :-9009827431,

विषय: **जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनाक 03/01/2019 के तहत आवेदन ।**

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 03/01/2019 के पत्र का अवलोकन करें। उपरोक्त पत्र के बिंदु संख्या 2 से सम्बंधित जानकारी जिसमें सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है के सम्बन्ध में इस अनुभाग से सम्बंधित जानकारी इस प्रकार है:-

सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को ध्यान मे रखकर 22 अधिदेशीत कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) तथा गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य(एफआरपी) पर निर्णय लेती है, जिससे कृषकों को अपनी फसलों का सही मूल्य प्राप्त हो सकें। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यो की सिफारिश करते समय सीएसीपी उत्पादन लागत, बाजार मूल्यों में प्रवृत्तियां, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव, आदि को सम्मिलित करती है। इस पत्र के साथ वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिये अधिदेशित फसलो की उत्पाद्न लागत, एमएसपी व लागत पर प्रतिशत लाभ संलग्न है। **(अनुबंध)**

बिन्दु संख्या 1 जो कि सरकार द्वारा संचालित किसान कल्याणकारी योजनाओं से सम्बंधित है के सम्बन्ध में यह बताया जाता है कि अपेक्षित सूचना कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के नीति प्रभाग से सम्बन्धित है एवं बिन्दु संख्या 3 जो कि आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या एवं आत्महत्या के विभिन्न कारणों से सम्बंधित है, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के क्रेडिट प्रभाग से सम्बन्धित है अत: आरटीआई अनुभाग 6(3) के अन्तर्गत इसे नीति एवं क्रेडिट प्रभाग को आवेदक को सीधे उत्तर देने के लिये भेज दिया गया है।

उत्तर के विरुद्ध यदि कोई अपील हो तो डॉ. आर. सतीश, सलाहकार एवम अपीलीय प्राधिकारी, कमरा संख्या 443-ए, अर्थ एवम सांख्यकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, (ई मेल-sathish@nic.in) दूरभाष संख्या- 011-23382244, को उत्तर की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दर्ज की जा सकती है।

सलग्नक:- यथानुसार

(रामेश्वर सिंह)
उप आर्थिक सलाहकार

अनुबंध

लागत*, न्यूनतम समर्थन मूल्य और लागत पर प्रतिशत लाभ

(रू./क्विंटल)

क्र.सं.	जिंस	2017-18			2018-19		
	खरीफ फसलें	लागत	एमएसपी	लागत पर % लाभ	लागत	एमएसपी	लागत पर % लाभ
1	धान (सामान्य)	1117	1550	38.8	1166	1750	50.1
2	ज्वार (हाईब्रिड)	1556	1700	9.3	1619	2430	50.1
3	बाजरा	949	1425	50.2	990	1950	97.0
4	मक्का	1044	1425	36.5	1131	1700	50.3
5	रागी	1861	1900	2.1	1931	2897	50.0
6	अरहर (तूर)	3318	5450	64.3	3432	5675	65.4
7	मूंग	4286	5575	30.1	4650	6975	50.0
8	उड़द	3265	5400	65.4	3438	5600	62.9
9	कपास (मध्यम रेशा)	3276	4020	22.7	3433	5150	50.0
10	मूंगफली छिलका सहित	3159	4450	40.9	3260	4890	50.0
11	सूरजमुखी बीज	3481	4100	17.8	3592	5388	50.0
12	सोयाबीन	2121	3050	43.8	2266	3399	50.0
13	तिल	4067	5300	30.3	4166	6249	50.0
14	रामतिल	3912	4050	3.5	3918	5877	50.0
	<u>रबी फसलें</u>						
1	गेहूं	817	1735	112.4	866	1840	112.5
2	जौ	845	1410	66.9	860	1440	67.4
3	चना	2461	4400	78.8	2637	4620	75.2
4	मसूर (लेन्टिल)	2366	4250	79.6	2532	4475	76.7
5	रेपसीडसरसों/	2123	4000	88.4	2212	4200	89.9
6	कुसुम्भ	3125	4100	31.2	3294	4945	50.1
	<u>अन्य फसलें</u>						
1	कोपरा (मिलिंग)	4758	6500	36.6	5007	7511	50.0
2	पटसन	2160	3500	62.0	2267	3700	63.2
3	गन्ना#	152	255	67.8	155	275	77.4

* इसमें सभी भुगतान की गई लागतें शामिल है जैसे किराया मानव श्रम, बैल श्रममशीन श्रम/, पट्टा भूमि के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार जैसे भौतिक आदानों के उपयोग पर व्यय, उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सैटों आदि के प्रचालन के लिए डीजलबिजली/, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य।.

 # उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी)

प्रतिलिपि:

1. **श्री जे के राठी,** सीपीआईओ एवं उप आर्थिक सलाहकार, कमरा संख्या 545, आरटीआई एकक, कृषि भवन, नई दिल्ली, को उनके पत्र संख्या 1-151/2018- आरटीआई -सीसी-अ.सां. दिनांक 04.01.2019 के सन्दर्भ में जानकारी हेतु प्रेषित ।

2. **आरटीआई एकक,** कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

3. **श्री एस एन भारती,** अवर सचिव, कमरा संख्या 478, कृषि भवन, नई दिल्ली को सीधे आवेदक को जानकारी प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ भेजा जा रहा है जिसमें सीपीआईओ के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-151/2018- आरटीआई-सीसी-अ.सां. दिनांक 04.01.2019 की प्रति आरटीआई आवेदन के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

4. **श्री बिनय कुमार मलंगिया,** अनुभाग अधिकारी, कमरा संख्या 344 B, कृषि भवन, नई दिल्ली को सीधे आवेदक को जानकारी प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ भेजा जा रहा है जिसमें सीपीआईओ के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-151/2018- आरटीआई-सीसी-अ.सां. दिनांक 04.01.2019 की प्रति आरटीआई आवेदन के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।